(102)

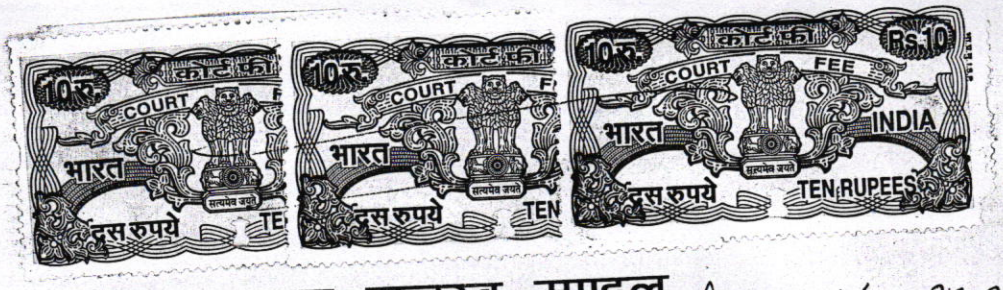

न्यायालय राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक - /2015 निगरानी

विष्णु स्वरूप पाठक

पुत्र श्री रामभरोसा पाठक,

निवासी ग्राम धाकड़ खिरिया, हाल निवास

किठोदा भितरवार जिला ग्वालियर ---- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ---- अनावेदक

(अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 345/ 2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-3-2015 के विरूद्ध निगरानी - अंतर्गत धारा 50 , म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959)

कृ0पृ030---

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 168 –पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	आ दे श **(दिनांक 18जनवरी, 2016 को पारित)** **यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 345/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-03-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत** की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार भितरवार ने प्रकरण कमांक 70/2003-04 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2004 से ग्राम धाकड़ खिरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 165 मिन रकबा 1-045 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) को आवेदक विष्णुस्वरूप पुत्र रामभरोसा पाठक के हित में व्यवस्थापित की। अनुविभागीय अधिकारी भितरवार ने तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण कर भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने वावत् प्रतिवेदन कलेक्टर ग्वालियर को प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर ग्वालियर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 33/09-10 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 10-02-2010 पारित करके तहसीलदार भितरवार का आदेश दि. 25-10-04 निरस्त कर दिया। इस आदेश	

के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 345/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-03-2015 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक जी0पी0नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि तहसीलदार भितरवार के आदेश दिनांक 25-10-2004 के विरूद्ध वर्ष 2009 के अंतिम चरण में लगभग 5 वर्ष वाद कलेक्टर ग्वालियर ने स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध कर भूमि व्यवस्थापन को आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2010 से निरस्त किया है । स्वमेव निगरानी अतिविलम्ब से करने की त्रृटि की गई है।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कलेक्टर ग्वालियर के न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 3-8-2009 के वाद स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो भूमि व्यवस्थापन दिनांक 25-10-04 के लगभग 5 वर्ष वाद आदेश दिनांक 10-2-10 से निरस्त किया गया है।

1. सीताराम विरूद्ध म.प्र.राज्य 1999 रा0नि0 82 (उच्च न्याया0) का न्यायिक दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां युक्तियुक्त समय में ही प्रयुक्त की जा सकती हैं। भूमि का पटटा दिया गया। उस पर भवन का निर्माण किया गया, 10 वर्ष पश्चात् पटटा रद्ध किया जाना तर्कसंगत नहीं है। मामले में एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त हो सकता है।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 168 –पीबीआर/2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के अभि.के हस्ता

2. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य 2013 रा.नि. 8 में माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है –

(3) भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– –50– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ – का प्रयोग – पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लॅघन के विषय में जानकारी में कब आया – 180 दिवस के वाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। (2010 रा0नि0 409 =2010(3) जे0एल0जे0 77) पूर्ण न्यायपीठ से अवलंबित

कलेक्टर ग्वालियर ने लगभग 5 वर्ष के अन्तर से आवेदक के हित में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त किया है जो अनुचित विलम्ब से होने के कारण कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 10–2–2010 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इन तथ्यों को अपर आयुक्त व्दारा नजरन्दाज कर देने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 25–3–15 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर व्यवस्थापन के पूर्व से कब्जा होकर खेती करते आ रहा है एंव वर्ष 2003–04 में भूमि व्यवस्थापित हो जाने से स्वत्व प्राप्त होने के वाद परिश्रम करके एंव धन व्यय करके उसने उबड़–खाबड़ भूमि को समतल करके चारों ओर मेढ़ बन्धान बना लिये हैं एंव

सिंचाई के साधन हेतु 2 लाख रू.खर्च करके ट्यूव वैल लगवा लिया है एंव जब निवास हेतु मकान निर्माण की बुनियाद खोद कर दीवालें बनाली, उसके स्वमेव निगरानी दर्ज होने से कार्य रोक दिया गया। यदि आवेदक से भूमि वापिस ले ली जाती है उसे धनहानि होने के साथ परिवार के पालन–पोषण में व्यवधान उत्पन्न हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय।

1. इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

2. शॅकरलाल वर्मा विरूद्व म0प्र0राज्य 1984 रा0नि0128 का न्यायिक दृष्टांत है स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ प्रयुक्त कर दिये गये पटटे को रद्द नहीं किया जा सकता , जब तक कि समुचित क्षति सिद्व नहीं की जाती है, पटटेदार व्दारा भूमि को सुधारने और कुऑ निर्माण करने में अत्यधिक राशि व्यय की गई। सामान्यतः पुनरीक्षण शक्तियॉ प्रयुक्त कर स्वप्रेरणा से ऐसे आबन्टन को रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

3. देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 J.L.J.155 = 1975 RN 67 =1975 RN 208 में निधारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया उसे भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये। पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन शक्तियॉ प्रयुक्त करते हुये परसीमा के पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता।

परन्तु कलेक्टर ग्वालियर ने इस तथ्य पर गौर न करते

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 168 –पीबीआर / 2016 निगरानी जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभि.के हस्ता
	हुये आवेदक के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी आदेश दिनांक 25-3-15 पारित करते समय उक्त पर गौर न करने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 345/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-3-2015 एंव कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2009-10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-02-2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार भितरवार द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/2003-04 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2004 से किये गये वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन को यथावत् रखते हुये शासकीय अभिलेख में हुआ अमल यथावत् रखा जाता है। सदस्य	